

No. 0784

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21, 1860 )

वर्ष 19५५-19५६

संख्या 280

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि देहली प्रोडेंस पब्लिक स्कूल



सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख २६ अगस्त 1955 के उन्नीस सौ अठारहवें वर्ष में मेरे हस्ताक्षर के

साथ दिया गया ।

वास्ते, महाविरोधक, निबन्धन, विचार, पटना ।

P.



देहली मांजि पब्लिक स्कूल की नियमावली

- भाषा :-
1. संस्था से अभिप्राय है देहली मांजि पब्लिक स्कूल ।
  2. समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणों समिति ।
  3. पदाधिकारियों से अभिप्राय है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष एवं उप कोषाध्यक्ष ।
  4. वर्ष से अभिप्राय है - 1 जो जनवरी 31 दिसम्बर तक ।
  5. एक्ट से अभिप्राय है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860

संस्था में प्रवेश की योग्यता :-

प्रत्येक सालक-वर्तिकाओं को कम से कम उम्र 5 वर्ष की होनी चाहिए ।

संस्था से निकलाना :-

1. संस्था के नियम विरुद्ध आचरण करने पर ।
2. सोन माह तक लगातार शूलक न देने पर ।
3. 15 दिनों तक लगातार बिना छुट्टी लिये अनुपस्थित रहने पर ।

कार्यकारिणों समिति का गठन :-

1. संस्था की व्यवस्था कार्यकारिणों समिति करेगी जिसमें पदाधिकारियों सहित 11 सदस्य शामिल होंगे ।
2. कार्यकारिणों समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा में होगा ।
3. कार्यकारिणों समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। निवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचित किये जा सकते हैं ।
4. कार्यकारिणों समिति का कोई भी सदस्य होने पर, 8वां व 9वां पर गैर शोध अधि के लिये किसी अन्य सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है ।

कार्यकारिणों समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. सदस्यता रद्द कर या उत्तरोत्तर करना ।
2. संस्था को सम्पत्ति का उत्तरदायी होना ।
3. वार्षिक विवरणों तैयार करना एवं आम सभा में उपस्थित करना ।
4. संस्था के उद्देश्यों को पूर्ति के लिये अन्य वैधानिक कार्य करना ।
5. उप नियम का निर्माण करना ।
6. शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना ।



6- पंचायत समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष

- क- पंचायत बैठक को अध्यक्षता करना ।
- ख- संघ के कार्यों पर निर्णय रखना ।
- ग- विद्यमान परिस्थिति में किसी विषय पर अग्रणी निर्णय लेना ।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों का सम्पादन करना ।

सचिव

- क- बैठक का आयोजन करना ।
- ख- सभी कार्यवाही अध्यक्षता रखना ।
- ग- कार्यकारिणी समिति को पूर्ण अनुमति से सिमा १००/- रखना एवं उसे करना ।
- घ- संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी प्रयास करना ।

उप सचिव

सचिव की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों का सम्पादन करना ।

सो. प्रत्यक्ष

- क- आम बच्य लेखा रखना तथा वार्षिक आम बच्य का लेखा सभी आम बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ख- कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सिमा के अन्दर में संघ के व्यय प्राप्त रकम को जमा करना और वास्तविक व्यय के अन्तर्गत सभी व्यय किये गये के संपुर्ण व्ययकार के विवरण प्रस्तुत करना सचिव का व्यय निरन्तर आवश्यक समझा जायगा ।

सो. प्रत्यक्ष को अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों का सम्पादन करना ।

7- आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- क- कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करना ।
- ख- संघ के आम बच्य लेखा पर विचार करना एवं उसे पूर्ण करना ।
- ग- अकेसक को नियमित करना ।
- घ- संघ के वार्षिक पतिलेखन एवं बजट को पूर्ण करना ।
- ङ- संघ को अनुमति से अन्य विषय पर विचार करना ।





पत्र का निम्नलिखित :-

सोचा जो सभी परिणामों निर्धारित कालखण्ड में रहने के लिए जो भी सदस्य  
विधित की अनुमति से सदस्य हों, लेखा विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण  
कर सकते हैं।

विधित :-

- क- सोचा का विधित अगर करना पड़े तो प्रायः प्रायः के ३/५ सदस्यों द्वारा  
संकेत प्रत्यक्ष तदर्थ उचित रूप में किया जाएगा।
- ख- विधित के पश्चात अथवा अथवा प्रस्ताव के बाद जो भी सदस्य अथवा अथवा  
इधेगी वह किसी सदस्यों या गैर सदस्यों में नहीं बंटें अथवा वरिष्ठ अथवा  
भाग के ३/५ सदस्यों से समान उद्देश्य वाले दूसरी विधा को दे दी  
जायगी।



उपरोक्त विधा जाना है कि यह नियमावली ही सत्य उपरोक्त है।



- १- जी २०/- गन्ध मोहन राय मन्नेन  
अध्यक्ष
- २- २०/- गन्ध मोहन श्रीवास्तव  
उपअध्यक्ष
- ३- २०/- श्रीमती लक्ष्मी देवी  
मैनेजर राहु सतीष

यह सूची अभिलेखित प्रतिनिधि है, न  
वर्तते निम्नान महानिरीक्षक, बिहार, पटना।

२०/११/५४



देली मोडेल पब्लिक स्कूल पटना का स्थापना-पत्र

निरालय पब्लिक स्कूल  
 निर्माण कार्यालय - राम-मार्ग परास पटना के निकट  
 प्रवेश्य  
 1. जो स्थापना पत्रों को वैधानिक एवं आधुनिक स्थापित द्वारा किया गया है।  
 2. जो निरालय एवं उपेक्षित बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्रदान किया गया है।  
 3. जो बच्चों को स्वाभाविक व सामान्य शिक्षा देती है जो नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा देकर उत्तम  
 संवर्गों का विकास करता है।

पटना का स्थापना-पत्र  
 निरालय पब्लिक स्कूल  
 निर्माण कार्यालय - राम-मार्ग परास पटना के निकट  
 प्रवेश्य  
 1. जो स्थापना पत्रों को वैधानिक एवं आधुनिक स्थापित द्वारा किया गया है।  
 2. जो निरालय एवं उपेक्षित बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्रदान किया गया है।  
 3. जो बच्चों को स्वाभाविक व सामान्य शिक्षा देती है जो नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा देकर उत्तम  
 संवर्गों का विकास करता है।

संज्ञा	कार्यकारिणों के नाम, पता	म, पता, व्यवस्थापन विभागों के नाम, पता	व्यवस्थापक
सार काभार होने का नाम स्वपिता का नाम	पता प्र. चन्द्र मोहन राय तख्त	पता दोषान मोहल्ला, पटना	नीरज
पिता स्व. रामराज राय तखतना	उपाध्यक्ष	प्रसाद मेन, पटना सिटी	श्री
माया गकर श्रीवास्तव	मैनेजर सह स. प्र.	पोस्टल बॉक्स रागनगर रोड नं०-4	पन्दी मोहरा
पता स्व. मनोर प्रसाद श्रीमती जगतारणी देवी पति जितेंद्र कुमार सिंह	आ. स. वि.	प. नं० प. नं० 1/1/1/1/1/1/1	प. नं० देवी
पता स्व. रामराज राय तखतना	कोषाध्यक्ष	दोषान मोहल्ला, पटना सिटी	
श्रीमती श्रीमती स. ना. ता श्री शरिहर प्रसाद श्रीमती सुती प्रसाद	उप. कोषा. प्र.	अंकुशम, पटना	पन्दी मोहरा
पता श्रीमती नारायण प्रसाद श्रीमती प्रसाद			
पता श्रीमती रविग. सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा श्रीमती स. पाटव			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			
पता श्रीमती सोको सिन्हा			



मिसे नोचरी

मिसे नोचरी

कि म निम्नलिखित स्वतंत्रकर्ता जिनका नाम ब्यवसाय एवं स्वतंत्र नोचे भेजे  
 प्रिय गया, उसे सीधा के रूप में : रणत करने तथा रजिस्ट्रेशन फेस १०००  
 के अन्तर्गत निर्वाहित कराने हेतु धन क है :-

क्र०	नाम	पता	ब्यवसाय	स्वतंत्र
१-	श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा रसो कवि सहाय	वीरान मोहल पटना-८	नोचरी	हो/- वीरेन्द्र कुमार सिन्हा
२-	श्रीमते रजत प्रसाद पत्नी श्री प्रतेरा प्रसाद आसनगर	वीरान मोहल पटना-८	नोचरी	हो/- रजत प्रसाद
३-	श्रीमते प्रमिता सिन्हा पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा	वीरान मोहल पटना-८		हो/- प्रमिता सिन्हा
४-	श्री सुन्दर प्रसाद पिता श्री रज प्रसाद	चोक शिकार र पटना-८	नोचरी	हो/- सुन्दर प्रसाद
५-	श्रीमते विन्दु प्रसाद पति श्री सुधीर राकेश	कस्बेबाग पटना-९	नोचरी	हो/- विन्दु प्रसाद
६-	श्री केशदेव देव नारायण डा० लक्षदेव नारायण	राकेशनगर	अपकाद प्रसाद	हो/- केशदेव देव नारायण
७-	श्रीमती लीला नारायण पति श्री केशदेव नारायण	राकेशनगर पटना-९	नोचरी	हो/- लीला नारायण

में उरोचत व्यक्तियों को जानत है कि होने के लिए सामने स्वतंत्र मिसे ।

भण्डागार कर्ता

हो/- रजत स्वराज  
पति

मिसे का स्वतंत्र भण्डागार

हो/- प्रसाद  
पति भण्डागार,  
पटना

यह सभी भण्डागार प्रतिलिपि है,

वास्तविक में गतनिरीक्षण, प्रसाद, पटना



2/1/16